



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 19.1.2023

थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/23 धारा 302/307 भादवि से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त रजत को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक बेल्ट बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 19.01.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र ईश्वर सिंह निवासी आवास विकास कालोनी करुबा व थाना बडौत ने सूचना दी कि वादी के पुत्र रजत ने उसकी पत्नी की बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी तथा वादी के गले में बेल्ट का फँदा बनाकर जान से मारने की नियत से गला घोटा । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 55/23 धारा 302/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 55/23 धारा 302/307 भादवि से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त रजत को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक बेल्ट बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त रजत ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली में सिविल की तैयारी करता हूँ वहीं पर दिल्ली की एक लड़की से मेरे प्रेम सम्बन्ध हो गये थे जिससे मैं शादी करना चाहता था परन्तु लड़की दूसरे समाज की होने के कारण मेरी माँ इसका सबसे ज्यादा विरोध करती थी, आज दिनांक

19-01-2023 की सुबह भी इसी बात पर मेरी माँ से मेरा झगड़ा हो गया था जिसके बाद गुरसे में आकर मैंने अपनी माँ के गले में बेल्ट का फन्दा डालकर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी तभी मेरे पिता भी आ गये मैंने उसी बेल्ट से उनके गले में फन्दा डालकर उन्हें भी मारने का प्रयास किया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी आवास विकास कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक बेल्ट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना बडौत ।
- 2- व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत ।
- 3-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत ।
- 4-का0 135 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.01.2023

ऑपरेशन स्मार्टल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 03/2023 धारा 363 भादवि में गुमशुदा लडके को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्मार्टल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 03/2023 धारा 363 भादवि में गुमशुदा लडके उम्र करीब 14 वर्ष को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।



परिजनों द्वारा थाना कोतवाली बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत जिला बागपत ।
- 2-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 19.01.2023

थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1101/22 धारा 302/201/34/120बी भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22.11.22 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव मलकपुर रोड, नहर किनारे कस्बा बडौत में मिला है, सूचना पर तत्काल थाना बडौत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा डॉग स्क्वाड टीम व फोरेसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक रीति से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । शव की शिनाख्त असलम (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र दिलशाद निवासी काशीराम कालोनी मलकपुर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के रूप में हुई थी । मृतक के



परिजनो द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के अभियुक्त विनोद के साथ सम्बन्ध थे । अभियुक्त विनोद के कहने पर अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ मोटा ने मृतक असलम उपरोक्त की दिनांक 21.11.22 की रात में हत्या कर शव को मलकपुर रोड नहर किनारे फेंक दिया था । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1101/22 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1101/22 धारा 302/201/34/120बी भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 22.11.22 को अभियुक्तगण 1.जोगेन्द्र उर्फ मोटा पुत्र प्रेमपाल व 2-अक्षय पुत्र सुन्दर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

1-एक महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत ।

3- म0का0 336 पुष्पा थाना बडौत ।

4- का0 413 आकाश सैनी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 19.01.2023

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-दीन मौ0 पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-असलम पुत्र मैराजूदीन निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4- का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 19-01-2023

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पानीपत हरियाणा से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस बरामद

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पानीपत हरियाणा से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस नं0 HR-06AY 4985 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम बूच्चाखेडी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- पानीपत हरियाणा से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस नं0 HR-06AY-4985। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 485/2022 धारा 379 भादवि थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 416 दीपक राणा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- हो०गा० 766 मनोज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 19.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 52/23 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.01.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री अजेन्द्र पुत्र ब्रह्मप्रकाश निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली ने सूचना दी कि अभियुक्त शाकिब उर्फ काला पुत्र तस्लीम निवासी पट्टी चौधरान सरकुलर रोड कस्बा व थाना बडौत ने वादी की दुकान से ओप्पो कम्पनी का मोबाइल चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 52/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 52/23 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शाकिब उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिब उर्फ काला पुत्र तरलीम निवासी पट्टी चौधरान सरकुलर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- ओपपो कम्पनी का मोइबाल फोन। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 52/23 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सोनवीर सिंह थाना बडौत।
- 2-है0का0 65 महीपाल सिंह थाना बडौत।
- 3-का0 1102 सुशान्त थान बडौत।
- 5-का0 814 अमित नागर थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जितेन्द्र पुत्र नौराज निवासी मौ0 अर्जुनपुरम कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-दिनेश नारायण पुत्र रामनारायण निवासी मौ0 देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

3-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-का0 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 19.01.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 18/2023 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 18/2023 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संदीप पुत्र सोमपाल निवासी पट्टी भोजान करुबा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री अतेन्द्र सिंह ।

2-का- 1044 शायद अली ।